न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-177RAAJodhpur2022-99RTA225 Dayaram ors Vs Dakhu etc

01. दयाराम सारण पुत्र श्री मल्लाराम
02. गंणपतराम पुत्र श्री खेराजराम
03. पपाराम पुत्र श्री खेराजराम
04. तिलाराम पुत्र श्री मलाराम
05. मदनलाल पुत्र श्री मलाराम
06. हीराराम पुत्र श्री मलाराम

सभी जातियान् जाट, निवासीगण- हड़मान सागर, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. श्रीमती दाखु पत्नी मंगनाराम, जाति सुथार, निवासी- ग्राम कड़वा, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 21 जनवरी 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2022 दाखु बनाम गणपतराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री बुधाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलांट्स

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो संख्या दो

निर्णय

दिनांक : 04 अगस्त 2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2022 अनवान दाखु बनाम गणपतराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 जनवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 09 मई 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 26 रकबा 11.0398 हैक्टेयर ग्राम मेपा तहसील बापिणी के संबंध धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 जनवरी 2022 को प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 10.05.2022 को अपीलांट्स को विधुत कनेक्शन की अंतरिम छूट प्रदान की जाकर रेस्पोडेंट्स को रजिस्टर्ड ए.डी सम्मन के जरिये तलब किया गया। बाद तामील रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 10.05.2022 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा दिनांक 07.02.2023 को निगरानी का निस्तारित करते हुए न्यायालय हाजा को हस्तगत अपील में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपील को दो माह में निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पालना में रेस्पोडेंट को पुनः रजिस्टर्ड ए.डी डाक से सम्मन भेजे गये, जिसकी ट्रेक रिपोर्ट मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक को सम्मन डिलीवर होने के बावजूद भी वह न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। तत्पश्चात अपीलांट्स के अधिवक्ता एवं विद्वान राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक भूल कारित की गई है। खसरा नं. 26 के मूल खातेदार पताराम व दाखुदेवी के मध्य मौखिक रूप से 1/2-1/2 हिस्से का बंटवाड़ा हो रखा है तथा उसकी माफिक दोनो हिस्सों के बीच मे खूंटे रोपकर जाली/तारबंदी की हुई है तथा प्रत्यर्थी संख्या एक दाखु देवी वाले हिस्से की भूमि पर नलकूप चालू है तथा दाखू देवी के सहखातेदार पताराम ने उक्त रकबे का 1/2 अपना संपूर्ण हिस्सा अपीलार्थीगण को भौतिक कब्जा काश्त अनुसार बेचान कर अपीलार्थीगण को कब्जा सुपुर्द कर दिया, तब से अपीलार्थीगण अपने खरीदसुदा भूमि पर कब्जा काबिज काश्त है। अपीलार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कनेक्शन लेने हेतु पत्रावली विद्युत विभाग में जमा करवा दी गई है, उसकी भनक लगने पर द्वेषभावना एवं बदले की भावना से प्रत्यर्थी संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करवाकर अपीलार्थीगण को अपनी भूमि से महरूम करने की कोशिश की गई है। अपीलार्थीगण के 1/2 हिस्से की भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या एक का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या एक की भूमि के मध्य पूर्व के मौखिक बंटवाड़े अनुसार जाली व तारबंदी की हुई है तथा उसी अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे है। प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा बंटवाड़ा का वाद प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण वह सहखातेदार के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की मांग नहीं कर सकती है। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि के उपयोग-उपभोग व प्रबंध करने के पूर्ण अधिकार है, जिस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किय बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही अपना जवाब प्रस्तुत कर बहस भी कर दी गई, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया। जिस कारण अपीलांट्स के पास अपील प्रस्तुत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प शेष नहीं बचा। इसलिए अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का सद्भाविक कारण हैं। अपीलांट्स द्वारा जानबूझकर या लाभ प्राप्त करने के उद्धेश्य से देरी नहीं की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तति में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलांट गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 जनवरी 2022 को खारिज फरमाया जावे

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स को अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट्स के कथनानुसार उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया। लिहाजा अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम में किये गये कथनों पर विश्वास करते हुए मियाद पर नरम रूख अपनाते हुए अपील गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवतः 2073-76 ग्राम मेपा तहसील बापिणी के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 26 रकबा 11.0398 हैक्टेयर अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या एक की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या एक 1/4 हिस्से की सहखातेदार तथा उसका पुत्र दमाराम 1/4 हिस्से का सहखातेदार दर्ज है। शेष आधे हिस्से भूमि के अपीलांट्स सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित तथ्यों अनुसार प्रार्थीनी/रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा वादग्रस्त आराजी को संयुक्त खातेदारी की भूमि बताया है तथा प्रस्तुत वाद में विभाजन की इस्तदुआ नहीं चाहकर लेकर स्थाई निषेधाज्ञा का ही वाद प्रस्तुत किया है।

कानूनन सहखातेदार के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा नही लाया जा सकता है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में सहखातेदार को कृषि विकास कार्य से रोका जाना कानूनन विधिसम्मत नहीं है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। इसलिए मामले के अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप सें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2022 अनवान दाखु बनाम गणपतराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 जनवरी 2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष परस्पर एक-दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे। साथ ही अपीलांट्स को पाबंद किया जाता है कि वह अपने हक-हिस्से की भूमि में जहां टयूबवेल खुदा हुआ है, उसके अलावा वादग्रस्त आराजी अन्य स्थान पर विद्युत कनेक्शन स्थापित नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.09.23

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर